

मजदूर मोर्चा की खास पेशकश

हिन्दी बागी ब्लॉग

देश में दलालों की मीडिया-सरकार जुगलबंदी

- भारतीय लोगों की दुनिया रिलायंस की मुट्टी में कैद हो चुकी है...

देश की संसद में जो तमाशा चल रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है। वरना मीडिया की औकात नहीं है कि वह आपको सही जानकारी न दे। यानी अगर आप लोग खबरों वाले चैनल देखना, न्यूज वेबसाइट पर जाना और पूंजीपतियों के अखबार पढ़ना बंद कर दें तो मीडिया ने भारत सरकार से दलाली की जो जुगलबंदी कर रखी है, वह बेनकाब हो जाएगी।

विपक्षी पार्टियां लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रही हैं और स्पीकर सुमित्रा महाजन तरह-तरह के बहाने लेकर प्रस्ताव का रखा जाना रोक रही हैं। क्योंकि प्रस्ताव पर बहस होनी है, सभी दलों को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार और भाजपा इससे भाग रहे हैं। यह पूरा हफ्ता निकल गया और इस निकम्मी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी।

पिछले हफ्ते यह प्रस्ताव लाया गया था, तब संसद में होहल्ले का बहाना बनाया गया। लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक रोजाना भाजपा ने जयललिता की पार्टी एआईडीएमके और टीआरएस के साथ मिलकर संसद में हल्ला मचाया दिया। स्पीकर सुमित्रा महाजन को बहाना मिल गया। अविश्वास प्रस्ताव का रखा जाना रोक दिया गया...लोकसभा में जबरन मचाया जा रहा शोर इस बात की गवाही दे रहा है कि वह प्रायोजित शोर है और सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अगर भाजपा के ही कुछ सांसदों ने सरकार का विरोध कर दिया तब क्या होगा। इस पसोपेश ने उसे रोक दिया है।

किसी भी मीडिया ने सरकार की इस हरकत पर चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन जनता भी तो वही चाहती है। जनता की जागरूकता की कमी की वजह से देश में ऐसा मीडिया तंत्र खड़ा हो गया है जो अंततः जनता के मूल अधिकारों के खिलाफ ही जा रहा है। जबकि मीडिया

का पूरा मायाजाल सिर्फ और सिर्फ आपके टीवी देखने, ऑनलाइन खबरों को देखने और पूंजीपतियों के अखबार पढ़ने के दम पर खड़ा किया गया है। अगर आप अपनी यह आदत छोड़ दें तो मीडिया की औकात सामने आ जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा करने वाले नहीं हैं और यह मीडिया आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा नियंत्रित करने वाला है। न आपको सही सूचनाएं मिलेंगी और न आप खबरों के पीछे चलने वाले खेल जान सकेंगे। कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया की मर्जी से आप न तो कुछ देख पाएंगे और न पढ़ पाएंगे।

रिलायंस का खेल देखो

अंबानी खानदान ने आज रिलायंस बिग टीवी का ऑफर लॉन्च किया है। यह काफी उत्तेजक है। आपको रिलायंस सिर्फ 500 रुपये में पूरे साल डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के जरिए सारे चैनल दिखाएगा। शुरुआत में जो हजार या बारह सौ रुपये लिए जाएंगे वो भी आपको तीन साल बाद वापस मिल जाएंगे या एडजस्ट कर लिए जाएंगे। रिलायंस बिग टीवी छोटे अंबानी यानी अनिल अंबानी का है। बड़ा अंबानी यानी मुकेश अंबानी भी इस क्षेत्र में कूदने की तैयारी कर रहा है या फिर भाई की कंपनी को ही खरीद लेगा।

आप इस खेल को समझ पा रहे हैं या नहीं ...

चलिए समझते हैं। सारे चैनल को लगभग मुफ्त में मुकेश और अनिल मिलकर दिखाएंगे। सारे न्यूज चैनलों में दोनों भाइयों में से किसी न किसी के शेयर हैं। मुकेश करीब सौ से ज्यादा चैनलों के सीधे मालिक हैं। अब अगर किसी न्यूज चैनल को मार्केट में खुद को बने रहना है या चाहता है कि उसे देखा जाए तो उसे अंबानी बंधु में से किसी एक की छतरी के नीचे आना होगा। ...आप जिन कुछ चैनलों को बहुत अच्छे मानते हैं या बेहतर मानते हैं, उन तक में अंबानी बंधुओं के शेयर हैं। यह खबर पुरानी है, फिर भी याददाश्त में जिंदा रखने के लिए दोहरा देते हैं कि टीवी 18 ग्रुप को किस तरह मुकेश अंबानी ग्रुप ने खरीदा और रातोंरात 700

पत्रकारों की नौकरी चली गई। कई सारे चैनल मार्केट में जिंदा रहने के लिए रिलायंस से लोन तक ले लेते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप जो बिड़ला घराने का इतना बड़ा साम्राज्य है। जिसे उनकी बेटी शोभना भरतिया चलाती हैं। इस ग्रुप तक में रिलायंस की हिस्सेदारी हो चुकी है। टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप में भी रिलायंस ने घुसने की कोशिश की लेकिन चूँकि टाइम्स आफ इंडिया की कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो रिलायंस उसके शेयर खरीद नहीं सकता और न ही वहां उसकी घुसपैठ हो सकती है। ऐसे अखबारों के लिए उसके पास विज्ञापन का बजट है।

इसका नतीजा यह निकलेगा कि टाटा स्काई, एयरटेल जैसे डीटीएच खतम हो जाएंगे या फिर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। जी न्यूज वालों का डिश टीवी में इतनी औकात नहीं कि वह रिलायंस से टकरा सके। रिलायंस से कोई भी टकरा नहीं पाएगा, कम से कम मौजूदा सरकार के रहते हुए।

रिलायंस जियो इंटरनेट डेटा सस्ता करके आपको 24 घंटे व्यस्त रखने का इंतजाम पहले ही कर चुका है। आप घर में हों या रास्ते में हों...बस हरदम रिलायंस द्वारा नियंत्रित कंटेंट के कब्जे में रहेंगे। जब शैतान किसी का यह हाल कर देता है तो जो वह चाहता है, आपको वही करना पड़ेगा। जो सूचना वह देगा, उसी पर आपको यकीन करना पड़ेगा। भारत में अब जो विदेशी कंपनी इस क्षेत्र में उतरेगी, वह भी बिना रिलायंस की मर्जी के कुछ नहीं कर सकेगी। भारतीय लोगों की दुनिया रिलायंस की मुट्टी में कैद हो चुकी है।

क्या आपको यह सूचना मिली

क्या आप लोगों को पता है कि अबकी बार आप लोगों ने जो सरकार चुनी थी, उसने संसद में हाल ही में फाइनेंस बिल चुपचाप पास करा लिया। एक भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। जब देश तीन लोकसभा चुनाव नतीजों की बहस में उलझा हुआ था, तभी इस हरकत को अंजाम दिया गया।

फाइनेंस बिल द्वारा विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) 2010 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों द्वारा मिले चंदा पर रोक लगाता है। वैसे तो भारत सरकार ने वित्त विधेयक 2016 के जरिए एफसीआरए में संशोधन कर राजनीतिक दलों के लिए विदेशी चंदा लेने को आसान बनाया था लेकिन अब ताजा संशोधन के बाद पार्टियों को 1976 से मिले विदेशी चंदा की जांच की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी।

ध्यान दीजिएगा 1976 से, यानी इससे बीते 42 वर्ष में राजनीतिक दलों को हुई तमाम विदेशी फंडिंग वैध हो गई है।

कानून की भाषा में इसे भूतलक्षी प्रभाव से किया गया संशोधन कहा जाता है इस तरह के संशोधन की अनुमति बहुत विषम परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।

इस तरह के रेयर किस्म के प्रावधान को लागू क्यों करना पाते ?

2017 की शुरुआत में गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस (एडीआर) ने एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की। याचिका में एडीआर ने केंद्र सरकार पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया।

दरअसल 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने ब्रिटेन स्थित कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय सहायक कंपनियों से चंदा लेकर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) का उल्लंघन किया था।

एफसीआरए की धारा-4 राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों पर विदेशों से

चंदा लेने पर रोक लगाती है। उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय को छह महीने के भीतर कांग्रेस और भाजपा दोनों के खातों की जांच करने और उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन न तो चुनाव आयोग ने कुछ किया और न ही गृहमंत्रालय द्वारा कोई कदम उठाया गया।

जुलाई 2017 में एडीआर की याचिका पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहती। सरकार ने उस वक्त अदालत में दलील दी थी कि उसे रिकॉर्ड खंगालने के लिए 31 मार्च 2018 तक का वक्त दिया जाए।

अदालत ने 8 अक्टूबर 2017 मामले में कार्रवाई करने के लिए केंद्र को आखिरी छह हफ्ते का समय दिया था लेकिन यह छह हफ्तों की अवधि यानी लगभग डेढ़ महीना तो दिसम्बर 2017 में ही खतम हो गयी थी।

तो सवाल उठता है कि उसके बाद अदालत ने क्या किया? बहुत ढूँढ़ने पर भी जवाब तो नहीं मिला पर यह जरूर मालूम पड़ता कि दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्रल जो जस्टिस सी हरिशंकर के साथ मिलकर यह मुकदमा सुन रही थीं, उन्हें केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2018 को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाज दिया।

खतरे बढ़ रहे हैं। आप अगर सोए रहे तो किसी भी सुबह आपकी दुनिया लुट चुकी होगी।

प्रोफेसर ने कहा तुम्हारे स्तन तरबूज जैसे, लड़कियों ने पोस्ट की टॉपलैस फोटो और निकाल दिया उसका तरबूज जुलूस

जमाना बदल गया और लड़कियों को पता है कि उत्पीड़न और आशीर्वाद का फर्क क्या होता है...

पिछले कुछ वर्षों में कॉलेजों—विश्वविद्यालयों की छात्राएं तो बदल गयी हैं, अपने सम्मान और अधिकारों के प्रति सजग हो गयी हैं, वे अब किसी भी तरह के उत्पीड़न और शोषण को लिहाज और शर्म के नाम पर छुपाना नहीं चाहती हैं, पर लगता है अभी कैंपसों के शिक्षक, प्रोफेसर और प्रबंधकों के लंपट चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है।

मौजूदा मामला केरल के एक कॉलेज से जुड़ा है, जहां के प्रोफेसर ने लड़कियों पर फब्तियां कसते हुए कहा कि तुम्हारे स्तन तरबूज जैसे हैं। वह लड़कियों के पहनावे को लेकर लगातार छोटकशी और अभद्र टिप्पणियां करता रहता था।

कॉलेजों—विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को लगता है कि लड़की को यूँ ही छू देने, कुछ राह चलते बोल देने, ज्ञान के नाम पर लाइन मारने, थिसिस पूरा करने के बहाने जांच पर हाथ रगड़ने और मौका मिलते ही उसका स्तन किसी न किसी बहाने टच करने को वह गुरुजी का आशीर्वाद ही मानेगी और सोचेगी कि इसका खुलासा करने से गुरु जी का क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो मेरा।

तो मास्टर साहब चेत जाओ, जमाना बदल गया और लड़कियों को पता है कि उत्पीड़न और आशीर्वाद का फर्क क्या होता है ?

अभी जेएनयू के यौन उत्पीड़क गुरु जौहरी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कल केरल में लड़कियों ने अपने स्तन पर तरबूज लगाकर प्रदर्शन किया। केरल की लड़कियों को ऐसा इसलिए करना पड़ा, क्योंकि गुरु जी रोज—रोज अलग—अलग लड़कियों की छाती को तरबूज से तुलना कर तरह—तरह की राय दिया करते थे, ज्ञान ठेला करते थे।

गुरुजी के स्तन को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों से आजिज आकर लड़कियों ने टॉपलैस होकर स्तनों की जगह तरबूज लगा प्रदर्शन किया। यह घटना केरल के कोझिकोड के फारूख कॉलेज की है, जहां के प्रोफेसर जौहर मुनवर अकसर लड़कियों के स्तनों पर टीका—टिप्पणी करते।

प्रोफेसर कहता था कि, मैं एक कॉलेज का शिक्षक हूँ जहां 80 फीसदी लड़कियां हैं और उनमें से अधिकतर मुस्लिम। वो लड़कियां धार्मिक परंपरा के आधार पर कपड़े नहीं पहनतीं। लड़कियां अपने स्तनों को हिजाब से नहीं ढकतीं, बल्कि लाल तरबूज के टुकड़े की तरह दिखाती हैं। सीना महिलाओं का ऐसा हिस्सा है जो पुरुषों को आकर्षित करता है।

प्रोफेसर की इस टिप्पणी के बाद लड़कियों ने टॉपलैस फोटो सोशल मीडिया पर घटना के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। अपने स्तनों की जगह तरबूज लगाकर छात्राओं ने तरबूज मार्च भी निकाला।

जेएनयू मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज, लड़कियों के खींचे बाल फाड़े कपड़े

आठ छात्राओं के बाल खींचकर कपड़े फाड़ लिया हिरासत में, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को घेरकर रखा संजय पार्क में...

दिल्ली, जनव्वार। देश की ख्यात यूनिवर्सिटी जेएनयू और विवाद का चोली—दामन का साथ हो गया है। शिक्षकों और छात्रों द्वारा निकाले गए शांतिमार्च पर दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया, बल्कि कई छात्रों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन में शामिल आठ महिलाओं को हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने उनके साथ जमकर बदसलूकी की। उनके बाल खींचकर उन्हें घसीटा गया और उनके कपड़े तक फाड़ डाले।

जेएनयू में बिरयानी बनाने और खाने पर लगा 10 हजार का जुर्माना

जेएनयू छात्र संघ, जेएनयू शिक्षक संघ और जेएनयू पूर्व छात्रसंघ ने तमाम उत्पीड़नों के खिलाफ लांग मार्च आयोजित किया था। उसी के तहत ये लोग संजय पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

शांति मार्च में लगभग दो हजार से अधिक शिक्षक और छात्र शामिल हुए थे।



अतुल जौहरी : यौन उत्पीड़क प्रोफेसर को तुरन्त जमानत

यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी की गिरफ्तारी

जेएनयू की प्रोफेसर आयशा किदवई ने अपने बाल पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की सूचना साझा करते हुए लिखा है कि हमारे शांतिपूर्ण पैदल मार्च पर लाठीचार्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आठ छात्राओं के बाल खींचकर उन्हें न सिर्फ घसीटा गया बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ डाले और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बड़े पैमाने पर छात्र और शिक्षकों को पुलिस ने संजय पार्क में घेरकर रखा हुआ है। कम्युनिस्ट नेता बृंदा करात के साथ सांसद मनोज झा भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए हैं।

जेएनयू में छात्र जहां अनिवार्य उपस्थिति के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए भी थाने का घेराव कर चुके हैं। उस पर भी पुलिस और जेएनयू प्रशासन ने सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की। आठ छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर को मात्र एक घंटे के अंदर जमानत दे दी गई।

यह पैदल मार्च जेएनयू मेन गेट से होकर संसद भवन तक जाना था, मगर पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया। संजय पार्क के पास तो जेएनयू शिक्षकों और छात्रों के शांतिपूर्ण मार्च को पुलिस ने वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की और बाद में लाठीचार्ज शुरू कर दिया।